

भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया Amendment Process in Indian Constitution

संविधान संशोधन की प्रक्रिया → समय के साथ संविधान के प्रावधानों का संशोधन होता रहना चाहिए। अन्यथा वह चल नहीं सकेगा। प्रकृति से संविधान नमनशील या लचीला हो जाता है। संशोधन पुणाली का प्रावधान होता है। यदि यह पुणाली सरल है तो अपनी प्रकृति से संविधान नमनशील या लचीला होता है। संशोधन का बिल संसद से साधारण बहुमत से पास होकर राज्याध्यक्ष को अनुमति पाकर कानून बन जाता है। संशोधन का बिल संसद से साधारण बहुमत से पास होकर संसद द्वारा निर्मित साधारण या निम्न विधि में अन्तर नहीं होता। ब्रिटिश संविधान इसका स्केड उद्धारण है यदि यह संशोधन पुणाली बहुत कठिन है तो अपनी प्रकृति से संविधान कठोर हो जाता है।

संविधान की संशोधन पुणाली का अध्ययन करने से यह विदित होता है कि इसमें लचीलापन व कठोरता का अद्भुत मिश्रण है।

इसके कुछ प्रावधानों को संसद साधारण बहुमत से बिल पास करके बदल सकती है। कुछ प्रावधानों को संसद बदल सकती है लेकिन ऐसा बिल दोनों सदनो में विशेष बहुमत से कम राज्यो का समर्थन भी मिलना चाहिए। आपत्ति की बात

संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

हर संविधान की अपनी विशेषताएँ होती हैं। जिन्हें देखकर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। यही बात भारत के संविधान के बारे में कही जा सकती है। हम भारत के लोगों ने भारत के लोगों के लिए बनाया है।